

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत मनोज कुमार पिता- राजा साव ; ग्राम- पचरा , थाना - केरेडारी जिला -हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बिंगलात थाना सं.- 49 (रैयती भूमि) के खाता सं.-29; के अधीन प्लॉट सं. -37, 108, 175, 177, 265, 341, 354, 361, 427, 436, 500, 531, 662, 676, 708, 281, 283; के खाता सं.-8; के अधीन प्लॉट सं. - 364; के खाता सं.-44; के अधीन प्लॉट सं. -313, 553, 317; के खाता सं.-42; के अधीन प्लॉट सं. -162, 643, 314; ग्राम: होनहे थाना सं.- 50(रैयती भूमि) के खाता सं.-1; के अधीन प्लॉट सं. -113; ग्राम: कसियाडीह थाना सं.-34 (रैयती भूमि) के के खाता सं.-22 ; के अधीन प्लॉट सं. -871; के खाता सं.-27; के अधीन प्लॉट सं. -841; ग्राम: कुंडी थाना सं.-27 (रैयती भूमि) के के खाता सं.-15; के अधीन प्लॉट सं. -74, 77; के खाता सं.-7; के अधीन प्लॉट सं. -209; कुल रकबा: - 02.00 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पन्द्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (आम्रपाली - चन्द्रगुप्त) एवं (मगध - संघमित्रा ), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर पन्द्रह दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

अमित  
04.02.25